

FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत...सहायक कलक्टर एवं S. P. O. मुकाम... बायलु

धर्माराम बनाम काकराराम बगेरा


किस्म मुकदमा...नं. 111, 128...नं. 172...सन्. 2019... RLR ACT

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
7.6.19	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री <u>खेताराम जाखड़</u> ने यह प्रार्थनापत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128 RLR ACT</u> राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>26/6/19</u> को पेश हो।</p>	
26/6/19	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी/गणों के नोटिस तामिल कृपया प्राप्त जिसे तामिल पत्रावली दिनांक 26/6/19 को प्राप्त किया गया। विप्रार्थी/गणों का पत्र तामिल अनुपस्थित न्यायालय समक्ष तीन बार कावाज कराई गई फिलिय कावाज 5.45 PM पर कराई गई विप्रार्थी/गणों स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ। रिजिस्ट्रार उनको विलेड एडवोकेट डायरेक्टरी कमल में लाई जाली है। फल: वास्ते बरस पत्रावली दिनांक 17/07/19 को पेश की।</p>	
17/07/19	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी/गण अनुपस्थित। न्यायालय पीठाधीन अधिवक्ता रिजिस्ट्रार डायरी में पत्रावली दिनांक 17/07/19 को पेश की।</p>	
13/08/19	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी/गण अनुपस्थित। न्यायालय पीठाधीन अधिवक्ता रिजिस्ट्रार डायरी में पत्रावली दिनांक 13/08/19 को पेश की।</p>	

6/11/19

प्राथी वकिल उपस्थित / विप्राथीगण अनु-
पस्थित। प्राथी के अधिवक्ता की एकपक्षीय एकपक्षीय
बहस सुनी गई प्राथी के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया
गया कि प्राथी व विप्राथी गणों के खेत सेठा सेठा आय
हुए हैं प्राथी व विप्राथीगणों के ~~बैठ~~ सेठों पर जो पुरानी
माठि व कणे आए हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की
बजह से बिखर गए हैं। जिससे प्राथी व विप्राथीगणों के
सेठों का सही ज्ञान नहीं हो रहा है। वर्षात की आवक होने
पर विप्राथीगण प्राथी के सेठों को तोड़कर प्राथी के खातेदारी
खेत में खेती कर लेते हैं। जिससे प्राथी व विप्राथीगणों के बीच
में तनाव बढना रहता है। इस कारण प्राथी को अपने खातेदारी
खेत की पक्की नेखमबन्दी करवाना आवश्यक है। इसलिए
प्राथी द्वारा प्रस्तुत नेखमबन्दी आवेदन को स्वीकार किया
जाकर नेखमबन्दी आदेश किया जावे।

अतः प्राथी का नेखमबन्दी आवेदन
स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिशनर व
सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिशनर व
नियुक्त किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि आप
स्वयं या सहायक कमिशनर से प्राथी के खातेदारी खेतों की
पक्की नेखमबन्दी भौके पर कमिशनर शुल्क रूपय 500/-
जमाकराकर करें। चालना रिपोर्ट के प्राप्त होने पर शामिल
पत्रावली हो। पत्रावली केसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से
कम हो। दायिल दफ्तर हो।


6.11.19

क्रमांक/वाद/2019/ 868

दिनांक:- 6/11/19

प्रार्थीगण

बनाम:-

विप्रार्थीगण

1. धर्मराम पुत्र आदूराम वगैरा जाति जाट
निवासी धोलानाड़ा बोड़वा
तहसील बायतु जिला बाड़मेर

1. ठाकराराम पुत्र उमाराम वगैरा जाति जाट
निवासी धोलानाड़ा बोड़वा
तहसील बायतु(बाड़मेर)


प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956


राजस्व आवेदन संख्या 172/19

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा धोलानाड़ा पटवार हल्का बोड़वा तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 164/93 रकबा 16.02 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है वह तहसीलदार बायतु को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क रूपयें 500 जमा करा कर करें एवं पालना रिपोर्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर संबंधित थाना अधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश बसरे ईजलास सुनाया गया।


सहायक कलेक्टर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक:- 6/11/19


सहायक कलेक्टर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/वाद/2019/ 869-73

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु।
2. पटवारी बोड़वा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री धर्मराम वगैरा
4. विप्रार्थीगण श्री ठाकराराम वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु।

